न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 22/2014

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर	बनाम	1. नरेश कुमार पुत्र शंकरलाल जाति जैन निवासी सुन्दर नगर जिला बाड़मेर (फर्म धड़कन सेल्स एजेन्सी, जे.15 कृषि मण्डी बाड़मेर का मालिक) 2. गोपीचन्द यादव, 36 खतोड़िया की ढाणी, बक्सा वाला गांव, तहसील सांगानेर जिला जयपुर (फर्म अमित एण्टरप्राईजेज, आउट साईड मालपुरा गेट, डिग्गी रोड़, सांगानेर जयपुर का मालिक) 3. विपिन भार्गव पुत्र उमाशंकर भार्गव 242/9, डीएच बिल्डिंग हाथी भाटा, अजमेर (मर्सर्स बालाजी फूड प्रोडक्ट विद्युत नगर दौराई, अजमेर का मालिक)

अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थितः—1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सम्पतराज बोथरा अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय

दिनांक 12.11.2016

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 22.11.2013 को खाध सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर को पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर द्वारा लिखित में तहरीर देकर बताया कि गोयल ट्रांसपोर्ट कम्पनी बाड़मेर में दिनांक 21.11.2013 को नकली घी के 5 टीन उतरे है, जिसे जब्त किया गया। पुलिस की तहकीकात में उक्त माल मैसर्स धड़कन सेल्स एजेन्सी

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

कृषि मण्डी बाड़मेर का होना पाया गया। पुलिस द्वारा की तहकीकात के आधार पर उक्त फर्म के मालिक श्री नरेश कुमार पुत्र शंकरलाल जाति जैन निवासी सुन्दर नगर जिला बाड़मेर को दूरभाष पर इत्तला देकर गोयल ट्रांसपोर्ट कम्पनी बाड़मेर बुलाया गया। श्री नरेश कुमार ने पूछताछ के दौरान् पुलिस द्वारा जब्त रिफाइण्ड पॉम ऑयल ब्राण्ड डेयरी स्टार (15किलोग्राम) का मालिक होना स्वीकार किया। उक्त जब्त माल का निरीक्षण करने पर उसमें मिलावट का सन्देह होने पर रूबरू गवाह एवं मालिक विक्रेता के सामाने 15 किलो का एक टीन खोलकर 1600 ग्राम पॉम ऑयल रूपये 216/– नगद भुगतान कर खरीदा गया। खरीदे गये कुल 1600 ग्राम पॉम ऑयल को एक भगोने में निकालकर उसे कांच की 04 साफ, सुखी बोतले में बराबर–बराबर मात्रा में भरकर, विक्रेता व गवाह के सामने 4 लेबल तैयार किये, जिस पर डी.ओ.कोड एवे सीरियल नम्बर पी.301 खाध पदार्थ का विवरण एंव नमूना लेने का स्थान एंव दिनांक अंकित कर उन पर लेबल चिपकाया जाकर प्रार्थी, गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर इस पर पेपर स्लीप कोड एंव सिरियल नम्बर पी.301 नियमानुसार सील बंद किया। प्रत्येक नमूने पर विवरण लिख कर प्रार्थी व गवाहो ने पेपर स्लीप को क्रॉस करते हुए अपने–अपने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए भरकर गवाहो के हस्ताक्षर कराये जिसकी प्रति मालिक विक्रेता को दी गई। मौके पर ही गवाहो की उपस्थिति में मौकाफर्द तैयार की गयी। समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी.301 जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। फार्म नम्बर 06 की प्रतियां तैयार की गयी। नमूना सील जिसका प्रयोग सेम्पल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटर कवर कर नमूना विवरण अंकित किया गया एंव एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाध सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो के शेष दूसरा, तीसरा व चौथा मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाध पदार्थ रिफाइण्ड पॉम ऑयल ब्राण्ड डेयरी स्टार (15 किलोग्राम) की नमूना

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

जांच रिपोर्ट फूड एनालिस्ट जोधपुर के क्रमांक एलएस/713/एक्ट/2013/721 दिनांक 05.12.2013 से अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार जॉच में खाध पदार्थ रिफाइण्ड पॉम ऑयल ब्राण्ड डेयरी स्टार का नमूना पी.301 अवमानक स्तर का पाया गया। इसप्रकार जॉच में अवमानक स्तर के पाये गये खाध पदार्थ रिफाइण्ड पॉम आयल ब्राण्ड डेयरी स्टार का विक्रय करना खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन पाये जाने के आधार पर प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी, बाड़मेर ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया है। खाध सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति, फार्म नम्बर 5ए,नमूना, खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी.301 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से श्री सम्पतराज बोथरा अधिवक्ता उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए करवाने का निवेदन किया गया।

3. प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर ने बहस के दौरान् बताया कि दिनांक 23.11.2016 को जांच के दौरान् रिफाइण्ड पॉम ऑयल ब्राण्ड डेयरी स्टार में मिलावट होने का संदेह होने पर नियमानुसार लिया गया नमूना फूड एनालिस्ट राज. जोधपुर की जॉच रिपोर्ट में अवमानक स्तर का पाया गया है, जो खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थीगण पर जुर्माना आरोपित किया जाना न्यायोचित है।

4. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके संलग्न दस्तावेजात तथा खाध विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/713/ एक्ट/ 2013/721 दिनांक 05.12.2013 अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा बेचा जा रहा खाध पदार्थ रिफाइण्ड पॉम आयल ब्राण्ड डेयरी स्टार का नमूना जॉच में अवमानक स्तर का पाया गया, जिसके लिये अभियुक्त अप्रार्थीगण दोषी प्रतीत होते है।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

5. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण हरीश कुमार वगैरहा द्वारा खाध सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)उल्लंघन किया गया है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक स्तर का पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान है। अतः खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एंव अपराध कारित करने के फलस्वरूप लोक अदालत की भावना के मध्यनजर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत अभियुक्त हरीश कुमार वगैरहा (प्रत्येक पर) पर रूपये 5,000/– (अक्षरे रूपये पांच–पांच हजार मात्र) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्तगण उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 12.11.2016 से एक माह के अंदर–अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति. जिला मजिस्ट्रेट,बाडमेर

आदेश आज दिनांक 12.11.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति. जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर